

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §
सोमवार, 04 नवम्बर, 1996/कार्तिक 13, 1998 § गक §

संख्या : 297

संविधान § 81 वें संशोधन § विधेयक, 1996 पर गठित संयुक्त समिति

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संविधान § 81 वें संशोधन § विधेयक, 1996 पर गठित संयुक्त समिति ने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों का आरक्षण करने सम्बन्धित संविधान § 81 वें संशोधन § विधेयक, 1996 पर विचार करने हेतु सुझाव/विचार आमंत्रित किया है। उनके पत्र की एक प्रति तथा प्रस्तावित विधेयक संलग्न है।

अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने सुझावों/विचारों सम्बन्धित यदि कोई हो, ज्ञापन, इस सचिवालय को अधिक से अधिक 7 नवम्बर, 1996 तक अवश्य भेज दें।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

संलग्न :- यथा उल्लिखित

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Monday, 04 November 1996/Kartika 13, 1998 (Saka)

No 297

JOINT COMMITTEE OF PARLIAMENT ON THE CONSTITUTION
(EIGHTY FIRST AMENDMENT) BILL, 1996

Hon'ble Members are informed that the Joint Committee of both the Houses of Parliament on the Constitution (Eighty First Amendment) Bill, 1996 has invited suggestions/comments on the provisions of the Constitution (Eighty First Amendment) Bill, 1996 regarding provisions for reservation of One Third seats for women in Lok Sabha and State Legislatures. A copy of the proposed bill and their letter are enclosed.

It is requested that the Memorandum containing your suggestions/comments may please be sent to this Secretariat by 7 November, 1996 at the latest.

P.N. Gupta
Secretary

Encl : As stated